राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 4(5)ग्रावि/ग्रुप-3/नरेगा/08 जयपुर, दिनांक : 30 APR 2009,

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में कार्यकारी संस्था के मनोनयन बावत।

महोदय,

प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग (सीएडी) ने अवगत कराया है कि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 एवं नियम 2002 के तहत गठित "जल उपभोक्ता संगम" के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्यों का निष्पादन कराया जावे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत सिंचित क्षेत्र विकास विभाग (सीएडी) द्वारा निष्पादित कार्यों को "जल उपभोक्ता संगम" के माध्यम से कराये जाने की सहमति प्रदान की जाती है। जल उपभोक्ता संगम द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों का निष्पादन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी मस्टररोल्स पर जॉब कार्डधारी श्रमिकों का नियोजन करते हुए किया जावेगा। जल उपभोक्ता संगम द्वारा निष्पादित कार्यों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता हेतु मांग सम्बन्धित ग्राम पंचायत को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जावेगी एवं ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता सिंचित क्षेत्र विकास कार्यों के लिए उपरोक्तानुसार सुनिश्चित की जावेगी। नियोजित श्रमिकों को निर्धारित टास्क की पूर्ति सुनिश्चित कराने का दायित्व जल उपभोक्ता संगम का होगा एवं श्रमिकों को भुगतान पोस्ट ऑफिस/ बैंक के खुले खातों के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जावेगा। कार्यों का निरीक्षण एवं उनकी गुणवत्ता सिंचित क्षेत्र विकास विभाग (सीएडी) द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। साथ ही श्रमिकों का भुगतान समय पर हो, सुनिश्चित किया जावेगा।

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

भवदीय,

(जी. एस. संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग (सीएडी)।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक(नरेगा), समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)

URGENT
Fax Message

169

Forwarded to Commissioner, CAD, Chambal Kota for information and necessary action.

Area Development Commissioner, CAD Kota
CAO
SE (LD)
PD (Agric)
ALR
Estt./Vig./ASO/Acct.
AD (M)
AADC

कार्यालय आयुक्त
चम्बल विकास, कोटा
- 6 MAY 2009
474
क्रमांक

कार्यालय क्षेत्रीय विकास आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, चम्बल, कोटा (राज.)

क्रमांकः– एडीसी/5( )/482-93 दिनांकः23/06/09

## परिपत्र

चम्बल सिंचित क्षेत्र की अधिकतर नहरें कच्ची होने तथा नहरी तंत्र लगभग 48 वर्ष पुराना होने के कारण नहरों से पानी का रिसाव/अपव्यय होता है। गत वर्षों में नहरी तंत्र हेतु पर्याप्त धन राशि उपलब्ध नहीं होने से इनका उचित रखरखाव व मरम्मत नहीं हो पाई है। नहरी तंत्र के स्ट्रक्चर्स एवं आउटलेट्स की भी पर्याप्त मरम्मत/ रखरखाव नहीं होने से टेल क्षेत्र के कृषकों को समय पर पानी उपलब्ध करवाना अत्यधिक कठिन हो गया है।

जल के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु नहरों की मरम्मत, रखरखाव के साथ वाटरकोर्सेज (धोरों) का नियमित रखरखाव भी आवश्यक है, जिससे पानी के अनावश्यक अपव्यय को रोकते हुए नहर का पानी किसान के खेत तक प्राथमिकता के आधार पर निर्बाध रूप से पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची – 1 के बिन्दु क्रमांक 1 (iii), 1 (vi) तथा 1 (vii) में क्रमशः सिंचाई नहरें जिनके अन्तर्गत सूक्ष्म और लघु सिंचाई संकर्म भी हैं, भूमि विकास व बाढ नियंत्रण संरक्षण संकर्म जिनके जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास भी है, का प्रावधान है।

अतः निर्देशित किया जाता है, कि चम्बल सिंचित क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत नहरी तंत्र, वाटरकोर्सेज (धोरों) व राज्य सरकार के निर्देशानुसार ड्रेनों की सफाई के कार्य प्राथमिकता से लिए जावें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग (अनुभाग–3) के पत्र क्रमांक 4(5) ग्रामीण विकास ग्रुप–3/नरेगा/08 जयपुर दिनांक 30.04.2009 के द्वारा सिंचित क्षेत्र विकास विभाग (सी.ए.डी.) द्वारा निष्पादित कार्यों को जल उपयोक्ता संगम के माध्यम से कराये जाने की सहमति प्रदान की गयी है। उक्त आदेश के क्रम के निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. जल उपयोक्ता संगम की मांग पर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य वार्षिक योजना में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित जिला कलेक्टर को अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।
2. कार्य की आवश्यकता एवं सम्पादित कराए जाने वाले कार्यों का विवरण जल उपयोक्ता संगम की प्रबंध समिति से अनुमादित कराया जाना आवश्यक होगा।
3. जिला कलेक्टर द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा जल उपयोक्ता संगम की प्रबंध समिति के साथ विचार विमर्श कर, सम्पादित कराए जाने वाले कार्यों के प्राक्लन/एस्टीमेट्स तैयार कर सम्बन्धित कार्यालय द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी।

4. अधिशाषी अभियन्ता सम्बन्धित जल उपयोक्ता संगम को कार्यकारी संस्था मनोनीत करने के प्रस्ताव सम्बन्धित जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे।
5. जिला कलेक्टर वित्तीय स्वीकृति जारी कर जल उपयोक्ता संगम को सूचित करेंगे।
6. सम्बन्धित जल उपयोक्ता संगम सम्पादित किये जाने वाले कार्य के लिए श्रमिकों की उपलब्धता हेतु मांग सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी को प्रकिया के अनुसार प्रस्तुत करेंगे।
7. ग्राम पंचायत श्रमिकों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता सिंचित क्षेत्र विकास कार्यों हेतु सुनिश्चित करेगी।
8. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मस्टर–रोल सम्बन्धित जल उपयोक्ता संगम के अध्यक्ष को अधिशाषी अभियन्ता, द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर जारी की जावेगी।
9. नियोजित श्रमिकों को टास्क की पूर्ति सुनिश्चित करने का दायित्व जल उपयोक्ता संगम का होगा।
10. कार्यों का निरीक्षण एव उनकी गुणवत्ता सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
11. कार्यों का मेजरमेन्ट व एम.बी. में इन्द्राज सी.ए.डी. के सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।
12. बिना सक्षम स्वीकृति के सम्बन्धित नहरी एवं जल निकास (ड्रेन) की जलीय विशिष्टियों (Hydraulic particulars) को बदलने को अधिकार किसी का नहीं होगा। सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, इस बात का विशेष ध्यान रखेगें एव इस तरह के प्रकरण को तुरन्त अधिशाषी अभियन्ता, के ध्यान में लाएगें।
13. जल उपयोक्ता संगम द्वारा कार्य निर्धारित मापदण्ड/ मार्गदर्शन अनुसार नहीं करवाने पर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता कार्य को बंद करवा सकेंगे।
14. श्रमिकों को भुगतान पोस्ट ऑफिस/बैंक के खुले खातों के माध्यम से निर्धारित प्रकिया के अनुसार ही किया जायेगा।
15. कार्य का उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धित जल उपयोक्ता संगम के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा।
16. कार्य सम्पादित होने के पश्चात जल उपयोक्ता संगम द्वारा साधारण सभा में खर्च का अनुमोदन तथा सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाएगा।
17. राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गोरंटी योजना के कार्य राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध मे कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 एवं नियम 2002 के तहत गठित "जल उपयोक्ता संगम" के माध्यम से ही करवाये जा सकेगे।
18. सामान्य तौर पर जल उपयोक्ता संगमो द्वारा कच्चे कार्य (यथा नहर की सफाई, घास निकलवाना, मरम्मत, ड्रेन सफाई इत्यादि) ही करवायें जायेगें।